न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–27/2020 (2020/00095) वाद पत्र

अनवान

1–मदनलाल आत्मज शंकरलाल सुथार निवासी मेरणियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–जीतु आत्मज हरलाल जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–माधुलाल आत्मज हरलाल जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–जगदीशचन्द्र आत्मज जीतु जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–घीसु आत्मज सवाईराम जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता वादी
2. फारूख मोहम्मद – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 09.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 924 रकबा 0.45 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 112 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी वादी के खातेदारी अधिकार की तथा वादी की इस आराजी के पूर्व में व दक्षिण में प्रतिवादीगण की आरायिजात स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजियात के बीच में वर्षो पुरानी थोहरो की बाड़ स्थित है परन्तु वादी की आराजी संख्या 924 रकबा 0.45 है0 व प्रतिवादीगण की आराजियात के बीच स्थित वर्षो पुरानी थोहरो की बाड़ को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.05.2020 को वादी व उसके परिवारजन की अनुपस्थिति में काट दिया और वादी की आराजियात मे बलात कब्जा व ताकत के बल पर पत्थरो की दीवार करवाने हेतु पत्थर डालवा दिये ओर प्रतिवादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धमकी दी गई। प्रतिवादीगण की वादी की उक्त आराजी संख्या 924 से कोई लेना देना न ही उसका कोई हक अधिकार है लकिन प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ जाने से वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की नियत से वादी की आराजी में दीवार करना चाह रहे है। वादी को उनके खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और आनन फानन में मजदुर लगाकर वादी की भूमि में निमार्ण कर रहे है। जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 924 रकबा 0.45 है0 से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा वादी की इस आराजी मे प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निमार्ण न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। साथ ही दौराने सुनवाई वाद पत्र यदि प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई निर्माण कर देवे या वादी को खातेदारी की उक्त भूमि के किसी भू भाग से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के उक्त किये गये निर्माण को ध्वस्त कर हटाया जावे व वादी को पुनः कबिज कराया जावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:15 IST
Reason: SelfAttested

बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करने जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में कमिश्नर रिपोर्ट ली गई जिसमें अकिंन किया कि मौके पर वादी का खसरा नम्बर 924 ग्राम पीथाकाखेड़ा की सरहद में स्थित है तथा उसके पूर्वी व दक्षिण मेड़ की तरफ ग्राम मेरणियाखेड़ा की सीमा है जिसमें प्रतिवादीगण की आराजियात है खसरा नम्बर 924 की पूर्वी व दक्षिणी मेड़ की नपती खसरा नम्बर 924 व 922 की बीच की पुख्ता मेड़ से की गई जिसमें वादी के खसरा नम्बर 924 की पूर्वी मेड़ सही है तथा उस पर कच्चा पत्थर की दीवार प्रतिवादीगण के द्वारा बना रखी है तथा दक्षिणी पूर्वी कोना नक्शे पर 90 प्रतिशत कोण मे है जबकि गोलाई में बना रखा है जिसका 924 की तरफ घुमाव दे रखा है तथा दक्षिणी मेड़ में पूर्वी कोने से 30 मीटर की दुरी पर एक कोना 6—7 फीट का 924 की तरफ काट दिया जबकि नक्शे में लम्बवत लाईन है जिसको मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के पुत्र मौके पर उपस्थित उनको बताया गया उक्त मेड़ पर कच्चा पत्थर की दीवार बना रखी है। वादी ने मौके पर बताया कि इस आराजी की पत्थरगढ़ी का वाद कर पत्थरगढ़ी करवायेंगे।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया कि वादी ग्राम पीथाकाखेड़ा की आराजी संख्या 924 के खातेदार है प्रतिवादी का इस भूमि से कोई लेना देना नही है जबरदस्ती वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है कमिश्नर रिपोर्ट में भी प्रतिवादीगणो का कुछ भाग पर कच्ची दिवार होना अकिंत किया गया है जबकि प्रतिवादीगणो का इस आराजी से सम्बधित किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि वादीगण वादवर्णित आराजियात के खातेदार है प्रतिवादीगणो का इस आराजी सम्बधित कोई हक अधिकार नही है प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि के नपती कराने में स्वंतत्र है कभी भी उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवा सकते है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादी खातेदार कृषक है ऐसी स्थिति में बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 924 रकबा 0.45 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी संख्या 924 में दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे गोलाई में जो पत्थर की दीवार बना रखी है उसको हटवाई जावे और वादीगण को कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगणो को पांबद किया जाता है कि वादीगण की आराजी संख्या 924 में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं न अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2021

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–27 / 2020 (2020 / 00095) वाद पत्र

अनवान

1–मदनलाल आत्मज शंकरलाल सुथार निवासी मेरणियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–जीतु आत्मज हरलाल जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–माधुलाल आत्मज हरलाल जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–जगदीशचन्द्र आत्मज जीतु जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–घीसु आत्मज सवाईराम जाट निवासी मेरिणयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 924 रकबा 0.45 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी संख्या 924 में दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे गोलाई में जो पत्थर की दीवार बना रखी है उसको हटवाई जावे और वादीगण को कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगणो को पांबद किया जाता है कि वादीगण की आराजी संख्या 924 में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं न अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:15 IST
Reason: SelfAttested